राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

कर्भांक प12(3)(49)राज / 2014 /

दिनांक :- /5/2015

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक श्रवणी देवी शिक्षा समिति गोकुलपुरा सीकर हाल सिंधाना जिरये अध्यक्ष रेखा देवी पत्नी परमानन्द जाति जाट निवासी गोरधनपुरा तह0 खेतड़ी जिला झुझुनू ने अपने स्वंय की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम ढाणी हुक्मा, ग्राम पंचायत बुहाना तहसील बुहाना रिध्यत ख0न0 677/400 रकबा 1.06 है0 किस्म बारानी—2 में से 0.75 है0 (7500 व0मी0) भूमि का संस्थागत प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। अंतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू—राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9(g) एवं राजस्व (ग्रुप—6) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ6(5)रेव—6/92/पीटी/8 दिनांक 26.4.2011 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्ठियां नीचे दी गई है:—

Ť		, निर्मान विशिष्टिया नीच दी गई है:-
	তা তা	भ्युषा होता साकर हाल सिंधाना जरिये ध्यक्ष रेखा देवी पत्नी परमानन्द जाति गट निवासी गोरधनपुरा तहा जोजनी
00,000	 क्या आदेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित ना जन जाति का सदस्य है 	ाला ग्रुगुन् ही
3	3. सपारवतन भूमि का ब्यौराः	न ढाणी हुक्स, ग्राम पंचायत मार्यंडो स्टील बुहाना
	(ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा ख संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	सरा संख्या ,677 / 400 रकवा 1.06
	(ग) प्रत्येक खसरा सख्या का क्षेत्रफल खर उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल है0 (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	न १। 0.75 हैं0 (7500 व0मीं0)
	टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूरि सुसंगत भाग की सम्माकृष्ण से सम्मान	ने को दशति हुये राजस्य नक्शे के
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	81
5.	कराई गई गिरीक्स ने	10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/
6.	योलान की संख्या तथा तारीख सहित शारित शून्य	14,040/100
7.	चलान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज शून्य यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	100
3.	किया गया है	
).	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो नहीं	

Conversión Order doe

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगाः-

(1) इण्डियन रोड़ कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़ने के पश्चात ही निर्माण करेगा । तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिगानों के अनुरूप विधिवत पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जावे।

(2) यदि प्रार्थी नेशनल हाईवे से रास्ता चाहते है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुगति लेगी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से

(3) निकटस्थ नगरपालिका / स्थानीय निकाय की उपविधियों की पालना करनी होगी । एव निर्धारित गाप

दण्डों के अनुसार निर्माण कराया जावेगा।

(4) राजस्व विभाग के परिपत्र प.6(6)राज-6/92 पार्ट दिनांक 17-7-2007 तथा अग्नि शमन हेतु नगरीय विकास विभाग के परिपन्न दिनांक 24—10—07 के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें स्थानीय प्रशासन से उक्त परिपत्र के अनुसार नक्शा अनुमोदित कराकर ही निर्माण कार्य कराया जावेगा अग्निशमन संबंधी सुरक्षा मानदण्डों की पालना की जावेगी।

(5) शिक्षण संस्था हेतु मॉडल भवन विनिमय 2010(संशोधित) में वर्णित सभी बिन्दूओं की पालना

सुनिश्चित की जावे ।

(6) कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू भाग सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित रखना होगा। प्रस्तावितः

स्थल से पानी के निकास एवं वर्षों जल संग्रहण हेतु संरचना का निर्माण किया जावेगा।

(7) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समयहत हो जायेगा।

(8) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर

जारी आदेश / परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।

(9) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुगति प्राप्त किये विना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

(11) नियम- 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(12) उपरोक्त शर्तों की पालना करने का दायित्व आवेदक का होगा । शर्तों का उल्लंधन होने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

> (सलविन्द्र सिंह सोहता) जिला कलेक्टर, जुन्जुनू दिनांक :-15/5/2015

कमांक प 12(3)(49)राज / 2014 / 12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट झुझुनू।

2. उप खण्ड अधिकारी बुहाना।

3. तहसीलदार/उप पंजीयक बुहाना।

4. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड बुहाना।

सचिव, ग्राम पंचायत माकड़ों पंo सo बुहाना जिला झुन्झुनू।

6. आवेदक श्रवणी देवी शिक्षा समिति गोकुलपुरा सीकर हाल सिधाना जरिये अध्यक्ष/रेखा देवी पत्नी परमानन्द जाति जाट निवासी गोरधनपुरा तह0 खेतड़ी जिला झुझुनू ।

7. गार्ड फाईल

(सलविन्द्र सिंह माहता) जिला कलेक्टर, झुन्झुनू